

राजस्व अपील संख्या : 44 / 2022

उनवान : हंजा बाई व अन्य बनाम कैलाश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

नये नम्बर

गत नम्बर

राजस्व अपील संख्या : 44 / 2022

राजस्व अपील संख्या : 9 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 54

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 6

अपीलाण्ट :-

रेस्पोजेण्ट :-

1. हंजा बाई पुत्री स्व. मानसिंह, पत्नी विजयसिंह जाति पुरोहित निवासी राजपुरा, तहसील देसूरी हाल ससुराल ग्राम मोरखा तहसील देसूरी जिला पाली राज. बनाम
2. भगवती पुत्री स्व. मानसिंह पत्नी बालुसिंह जाति पुरोहित निवासी राजपुरा तहसील देसूरी हाल ससुराल ग्राम खिंदारा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

1. कैलाश पुत्री स्व. मानसिंह पत्नी नाथुसिंह जाति पुरोहित निवासी राजपुरा, तहसील देसूरी हाल ससुराल ग्राम भाचुन्दा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. मानसिंह
3. प्रतापसिंह पुत्र स्व. मानसिंह
4. पवन पत्नी स्व. भंवरसिंह पुत्र स्व. मानसिंह जातिगण पुरोहित निवासीगण राजपुरा तहसील देसूरी जिला पाली
5. आशा पुत्री स्व. भंवरसिंह पत्नी जयेशजी पुरोहित निवासी मोरखा तहसील देसूरी जिला पाली राज.
6. राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जिला पाली राज.



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा राजपुरा के नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा राजस्व अभियान में पारित किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थिति :-

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2. रेस्पोजेण्ट्स संख्या 01, 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल भुरावत।
3. रेस्पोजेण्ट्स संख्या 04 व 05 की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्र सिंह देवडा।

-:निर्णय:-

दिनांक: 27.04.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा राजपुरा के नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा राजस्व अभियान में पारित किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत पेश की गई। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत पार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोजेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 44 / 2022

उनवान : हंजा बाई व अन्य बनाम कैलाश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:-

1. यह है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 को स्वीकृत कर जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णरूप से कानूनी प्रावधानों व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित जाकर किया गया है। जिसमें प्रथम दृष्टया ही निरस्त करने योग्य है।
2. यह है कि सरहद मौजा ग्राम राजपुरा, पटवार हल्का माण्डीगढ, भू अभिलेख निरीक्षक गुड़ा जाटाना तहसील देसूरी हाल खाता संख्या 229, 230 व 231 की खातेदारी कृषि भूमि नीचे वर्णित अनुसार आई हुई है:-

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
229	80	0.31	नहरी अब्वल
	83	0.38	नहरी अब्वल
	86	0.31	नहरी अब्वल
कुल खसरा	03	कुल 1.00	

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
230	130	0.45	चा.प्र.जा.अ.
कुल खसरा	01	कुल रकबा 0.4500	

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
231	112	0.36	नहरी दायम
	120	0.29	चा.प्र.जा.अ.
	121	0.27	चा.प्र.जा.अ.
	141	0.49	चा.प्र.जा.अ.
	142	0.46	चा.प्र.जा.अ.
	143	0.48	चा.प्र.जा.अ.
	147	0.16	चा.प्र.जा.अ.
	148	0.13	चा.प्र.जा.अ.
	149	0.16	चा.प्र.जा.अ.
कुल खसरा	09	कुल रकबा 2.80	



उपरोक्त खाता संख्या 229 में वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण एवं 230 में वर्णित कृषि भूमि का 1/2 वा हक हिस्सा एवं खाता संख्या 231 में वर्णित कृषि भूमि का 1/3 वा हक हिस्सा दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला, जाति पुरोहित के नाम की खातेदारीशुदा जमाबंदी सम्बत 2046 से 2049 के अनुसार आयी हुई स्थित थी। खातेदार स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला, जाति पुरोहित हिन्दु थे, जो हिन्दु विधि से गवर्न होते हैं। जिनकी निर्वसियत मृत्यु होने से इनकी उपरोक्त सम्पत्ति में अपीलार्थीया जायन्दा पुत्रीयां होने से बहैसियत प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान/उत्तराधिकारी होने से अपना कानूनी हक अधिकारी रखती है।

3. यह है कि अपीलार्थीया स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला, जाति पुरोहित की मृत्यु उपरान्त खातेदारी के सम्बन्ध में इनके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु पटवारी हल्का ने जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 55 राजस्व अभियान कैम्प-माण्डीगढ में दिनांक 08.06.1992 को निर्धारित रहते दिनांक 25.05.1992 को बिना तमाम विधिक वारिसानों की जांच किये ही रेस्पोजेण्ट संख्या 02 लगाय 06 के बताये अनुसार भरा गया। जिस पर भू-अभिलेख

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 44 / 2022

उनवान : हंजा बाई व अन्य बनाम कैलाश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

निरीक्षक द्वारा राजस्व रिकॉर्ड से जांच की गई कि टिप्पणी दिनांक 08.06.1992 को कर कैम्प टारगेट को पुरा करने की नियत से तहसीलदार देसूरी द्वारा बिना पक्षकारों की विधिक जांच किये ही उसी रोज राजस्व कैम्प में दिनांक 08.06.1992 को स्वीकृत कर दिया। जबकि अपीलार्थीया व रेस्पोजेण्ट संख्या 01 स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला, जाति पुरोहित की मृत्यु के समय जीवित जायन्दा विधिक पुत्रीया होने से उपरोक्त सम्पति में बहैसियत उत्तराधिकारी/वारिसान के विधिक हक अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना एवं वारिसानों की सही पूर्ण जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरुद्ध स्वीकृत किये जाने से प्रारंभिक रूप से शून्य होने से काबिल खारिज योग्य है।

4. यह है कि उपरोक्त खातेदारी के खातेदार स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला, जाति पुरोहित के जीवनकाल में पुत्र भंवरसिंह की मृत्यु हो गई थी एवं भंवरसिंह के विधिक वारिसान के रूप में रेस्पोजेण्ट संख्या 04 पवन पत्नी भंवरसिंह के अलावा जीवित जायन्दा दो पुत्रीया आशा व कविता भी और थी। ऐसी स्थिति में जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण के भरते वक्त एवं स्वीकृति के समय स्व. भंवरसिंह पुत्र स्व. मानसिंह के हक-हिस्से पर रेस्पोजेण्ट संख्या 4 के साथ विधिक वारिसान/उत्तराधिकारी पुत्रियों आशा व कविता की भी जांच कर इनके नाम इन्द्राज करने थे, जो नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में भी प्रथम दृष्टया ही जैर निगरानी नामान्तरकरण काबिल खारिज योग्य है।

5. यह है कि उपरोक्त कृषि भूमि में स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला, जाति पुरोहित के हक हिस्से पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रेस्पोजेण्ट संख्या 02 लगाय 04 खातेदार होने एवं रेस्पोजेण्ट संख्या 05 के पक्ष में बक्शीशनामा निष्पादित होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। रुकमों पत्नी स्व. मानसिंह फौत होने एवं फतेहसिंह पुत्र स्व मानसिंह लाऔलाद फौत होने से इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थीया को अपने पिता के हक-हिस्से में अपने विधिक हक अधिकारों के सम्बन्ध में उजर ऐतराज है, जिसके रहते उक्त अपील रेस्पोजेण्ट संख्या 01 लगाय 04 के विरुद्ध पेश की जा रही है। अन्य सह खातेदारों के विरुद्ध अपीलार्थीया द्वारा कोई रिलीफ नहीं चाही गई है, जिसके रहते उन्हें अपील में विरुद्ध पक्षकार नहीं बनाया गया है।

6. यह है कि अपीलार्थीया अनपढ़ ग्रामीण महिलाए है, हाल ही में अपनी भाभी पवन पत्नी स्व. भंवरसिंह द्वारा दो पुत्रियों कविता व आशा में से पुत्री कविता को उपरोक्त भूमियों में अपने हक हिस्से से वंचित करते हुए पुत्री आशा के पक्ष में पंजीबद्ध बक्शीशनामा दिनांक 22.07.2021 को निष्पादित करने से उपरोक्त सम्पति को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ तब अपीलार्थीया को अपने नाम उपरोक्त खातेदारी में बहैसियत विधिक उत्तराधिकारी/वारिसान के राजस्व रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज नहीं करने की बात के सम्बन्ध में दिनांक 15.12.2021 को जानकारी हुई। जिसकी जानकारी के बाद अपीलार्थीया द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय देसूरी में जैर निगरानी आदेश के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की, जहां रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के बाद जिला कलेक्टर रिकॉर्ड रुम, पाली में जैर निगरानी आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु अपने अधिवक्ता के मार्फत आवेदन संख्या 5059 दिनांक 23.12.2021 को पेश किया जो नकल दिनांक 24.12.2021 को प्राप्त हुई जिसके प्राप्त होते ही एवं उनके अवलोकन से प्रथम बार अपीलार्थीया को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं करने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसकी जानकारी होते ही बिना किसी देरी के यह अपील अन्दर म्याद श्रीमान के समक्ष तैयार करवाकर पेश की जा रही है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 44 / 2022

उनवान : हंजा बाई व अन्य बनाम कैलाश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

अतः अपीलार्थीया की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमाते हुए तहसीलदार, देसूरी द्वारा मौजा ग्राम राजपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 ने अपील मीमों का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:-

1. यह है कि सरहद मौजा राजपुरा, पटवार हल्का माण्डीगढ़ तहसील देसूरी के हाल खाता संख्या 229 खसरा नम्बर 80, 83 व 86 कुल खसरा 03 रकबा 1.000 हैक्टेयर व खाता संख्या 230 खसरा संख्या 130 रकबा 0.4500 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 231 खसरा नम्बर 112, 120, 121, 141, 142, 143, 147, 148 व 149 कुल खसरा 9 रकबा 0.80 हैक्टेयर की कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के पिता मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला, कौम पुरोहित की सह खातेदारी की आई हुई स्थित है, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता संख्या 229 में सम्पूर्ण हक हिस्सा एवं खाता संख्या 230 में 1/2वां हक हिस्सा एवं खाता संख्या 231 में 1/3वां हक हिस्सा दर्ज था जो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सही होना स्वीकार है। इनकी मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में हम रेस्पोडेण्ट सहित हमारी माता रुकमा व भाई फतेहसिंह एवं भाई भंवरसिंह की पत्नी पवन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उक्त नाम राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज किये हैं जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 द्वारा कोई गलत कार्यवाही नहीं करवाई गई है।
2. यह है कि अपीलार्थीया व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला, कौम पुरोहित की जायन्दा पुत्रीयां हैं जो आज भी जीवित हैं कानूनन उपरोक्त खातेदारी में इनके हक निहित होते हैं तो उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 को खारिज करते हुए जोड़े जाते हैं तो हम रेस्पोडेण्ट को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
3. यह है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 04 पवन जो हम रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के स्व. भाई भंवरसिंह पुत्र मानसिंह की धर्मपत्नी है। स्व. भंवरसिंह की मृत्यु के हमारे पिता मानसिंह की मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी जिसकी वजह से भंवरसिंह की पत्नी पवन का नाम उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज किया गया है जबकि स्व. भंवरसिंह की दो जायन्दा पुत्रीयां आशा व कविता हैं जिनका भी अगर कानूनन हक बनता है तो इनके हक के सम्बन्ध में भी अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया जाता है तो हम रेस्पोडेण्ट को कोई उजर आपत्ति नहीं है।
4. यह है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 4 पवन ने अपने हक-हिस्से को जरिये पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 22.07.2021 को अपनी पुत्री आशा पुरोहित के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया है ऐसी स्थिति में स्व. भंवरसिंह की एक अन्य पुत्री कविता है जो अपने हक-हिस्से से वंचित रहेगी ऐसी स्थिति में भी जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है, जिसके सम्बन्ध में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 को खारिज कर स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला, कौम पुरोहित की उपरोक्त खातेदारी में तमाम विधिक वारिशानों के नाम इन्द्राज किये जाने को आदेश फरमावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 ने अपील मीमों का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:-

1. पद संख्या 01 अपील का जवाब यह है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 को स्वीकृत कर जो आदेश पारित किया है, जो पूर्ण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
राजस्थान

राजस्व अपील संख्या : 44/2022

उनवान : हंजा बाई व अन्य बनाम कैलाश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

रुप से कानूनी प्रावधानों व प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है तथा प्रथम दृष्टया नामान्तरकरण संख्या 55 को सही रूप से भरा गया है।

2. पद संख्या 02 अपील का जवाब यह है कि सरहद मौजा ग्राम राजपुरा पटवार हल्का माण्डीगढ़ भू-अभिलेख निरीक्षक गुड़ाजाटान, तहसील देसूरी में हाल खाता संख्या 229, 230, 231 की खातेदार कृषि भूमि नीचे वर्णित अनुसार आयी हुई है।

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
229	80	0.31	नहरी अब्बल
	83	0.38	नहरी अब्बल
	86	0.31	नहरी अब्बल
कुल खसरा	03	कुल रकबा 1.000	
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
230	130	0.45	चा.प्र./जा.अ.
कुल खसरा	01	कुल रकबा 0.45	

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
231	112	0.36	नहरी दोगम
	120	0.29	चा.प्र./जा.अ.
	121	0.27	चा.प्र./जा.अ.
	141	0.49	चा.प्र./जा.अ.
	142	0.46	चा.प्र./जा.अ.
	143	0.48	चा.प्र./जा.अ.
	147	0.16	चा.प्र./जा.अ.
	148	0.13	चा.प्र./जा.अ.
	149	0.16	चा.प्र./जा.अ.
कुल खसरा	09	कुल रकबा 2.80	

उपरोक्त खाता संख्या 229 में वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण एवं खाता संख्या 230 में वर्णित कृषि भूमि का 1/2वां हक हिस्सा व 231 में वर्णित कृषि भूमि का 1/3वां हक हिस्सा मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला जाति पुरोहित के नाम की खातेदारी शुदा जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049 के अनुसार आयी हुई स्थित है या नही उसकी कोई जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 को नही है खातेदारी स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दोला जाति पुरोहित होने से हिन्दु है तथा उसकी मृत्यु कब हुई उसकी कोई जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 को नहीं है तथा अपीलार्थी स्व. मानसिंह की जायन्दा पुत्री या उसके वंश वारिसानों में शामिल हो उसकी कोई जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 को नहीं है जिससे जानकारी के अभाव में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

3. पद संख्या 03 अपील का जवाब यह है कि अपीलार्थी स्व. मानसिंह की मृत्यु के उपरोक्त खातेदारी के सम्बन्ध में इनके विधि उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभियान कैम्प माण्डीगढ़ में दिनांक 05.06.1992 को निर्धारित रहते दिनांक 25.05.1992 को पूर्णरूप से जांच कर भरा गया है इसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 04 की कोई दुर्भिसंधि नही है तथा तहसीलदार देसूरी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की पूर्ण रूप से जांच कर राजस्व कैम्प सुमेरपुर में दिनांक 08.06.1992 को नामान्तरकरण संख्या 55 को स्वीकार किया गया तथा अपीलान्ट बहैसियत उत्तराधिकारी, वारिसान के रूप में कोई हक हिस्सा नही रखती है तथा विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही व वारिसानो की सह



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 44/2022

उनवान : हंजा बाई व अन्य बनाम कैलाश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

रूपसे जांच कर नामान्तरकरण का भरा गया है जिसमें अपीलाण्ट को नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 को अस्वीकृत करवाने का विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है।

4. पद संख्या 04 का यह जवाब है कि उपरोक्त खातेदारीके खातेदार स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दौला जाति पुरोहित के जीवनकाल में रेस्पोजेण्ट संख्या 04 के पति व रेस्पोजेण्ट संख्या 05 के पिता भंवरसिंह की मृत्यु हो गयी थी तथा भंवरसिंह की मृत्यु हो जाने पश्चात् रेस्पोजेण्ट संख्या 04 का जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण खातेदारी में नाम दर्ज करवाया गया तथा रेस्पोजेण्ट संख्या 04 का नाम खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात् रेस्पोजेण्ट संख्या 04 ने एक बख्शीशनामा दिनांक 22.07.2021 को रेस्पोजेण्ट संख्या 05 के पक्ष में निष्पादित किया तथा बख्शीशनामा निष्पादित होने के पश्चात् रेस्पोजेण्ट संख्या 05 का नाम जरिये नामान्तरकरण भरा गया नामान्तरकरण भरते समय स्व.भंवरसिंह पुत्र मानसिंह जी हक हिस्से पर रेस्पोजेण्ट संख्या 04 का नाम विधिक वारिसान् के रूप में दर्ज किया गया तथा इस बारे में सम्पूर्ण रूप से जांच की गई तथा रेस्पोजेण्ट संख्या 04 का नाम सही रूप से दर्ज कर रेस्पोजेण्ट संख्या 04 ने जरिये बख्शीशनामा दिनांक 22.07.2021 को रेस्पोजेण्ट संख्या 04 ने अपने हक हिस्से में आयी खातेदारी की कृषि भूमि को रेस्पोजेण्ट संख्या 05 के पक्ष में विधिवत रूप से पंजीयन बख्शीशनामा करवाया है जिसमें अपीलाण्ट अन्य को किसी भी प्रकार की कोई उजर आपत्ति नहीं है।
5. पद संख्या 05 अपील का जवाब यह है कि उपरोक्त कृषि भूमि स्व. मानसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ माना पुत्र दौला जाति पुरोहित के हक हिस्से पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रेस्पोजेण्ट संख्या 02 लगाय 04 व रेस्पोजेण्ट संख्या 05 के पक्ष में बख्शीशनामा होने से उसे पक्षकार बनाया गया है अपीलार्थी को अपने पिता के हक हिस्से में कोई उजर ऐतराज था तो विधि के मान्य नियम के अनुसार प्रस्तुत करना था अपीलाण्ट द्वारा निर्धारित समय अवधि में कोई उजर ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भी अपीलाण्ट की ओर अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. पद संख्या 02 अपील का जवाब यह है कि अपीलार्थीगण पढी लिखी ग्रामीण महिला है तथा रेस्पोजेण्ट संख्या 04 ने अपनी पुत्री रेस्पोजेण्ट संख्या 05 के पक्ष में अपने हक हिस्से में आयी कृषि भूमि को रेस्पोजेण्ट संख्या 05 के पक्ष में पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 22.07.2021 को निष्पादित करने से किसी भी प्रकार का कोई विवाद आज दिन तक उत्पन्न नहीं हुआ तथा इस बारे में अपीलार्थी को उजर ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं है अपीलार्थीगण ने गलत तथ्यों को दर्शाकर अपील प्रस्तुत की है तथा अपीलार्थीगण को उपरोक्त खातेदारी में बहैसियत विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान के राजस्व रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज नहीं करने के सम्बन्ध में जानकारी मानसिंह पुत्र दौलतसिंह की मृत्यु के पश्चात् से ही है तथा अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र दिनांक 15.12.2021 को जानकारी होने का कथन पूर्णरूप से गलत है तथा अपीलार्थी द्वारा इस बारे में पूर्ण रूप से अनियमितता बरती गई है तथा अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है। तथा अपील पेश करने में हुई सदभाविक देरी को माफ करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न होता है जिससे उक्त आधार पर भी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य है।

अतः रेस्पोजेण्ट्स संख्या 04 व 05 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार फरमाते हुये तहसीलदार देसूरी द्वारा मौजा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 44 / 2022

उनवान : हंजा बाई व अन्य बनाम कैलाश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

ग्राम राजपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 को यथावत रखते हुये अपीलाण्ट की अपील मय खर्चा अस्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड पूर्व में ही तलब होकर शामिल मिसल किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि स्व. माना पुत्र दौला की मृत्यु उपरान्त उनके द्वारा धारित कृषि भूमियों में विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते हुए स्व. माना पुत्र दौला की पुत्रियों अर्थात् अपीलार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक का नाम दर्ज नहीं किया गया तथा स्व. माना की पत्नी तथा पुत्रों एवं उनके जीवनकाल में ही मृत पुत्र स्व. भंवरसिंह की पत्नी का नाम ही इन्द्राज किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तथा जायन्दा पुत्रियों को उनके हक व अधिकारों से महरुम रखते हुए स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण पूर्णतः अवैध होने से खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो एवं तीन की ओर से उपस्थित उनके अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया तथा अपीलार्थीगण को स्व. मानसिंह पुत्र दौलाजी की जायन्दा पुत्रियों होने के नाते अपील स्वीकार करने में कोई एतराज व्यक्त नहीं किया।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या चार एवं पांच ने वक्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है तथा प्रश्नगत खातेदारी आराजी आज भी अप्रार्थी संख्या चार व पांच के कब्जाधीन ही है। साथ ही जाहिर किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सम्बन्धि कार्यवाही पूर्णतः वैध एवं नियमानुकूल है तथा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील के सहवर्ती प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.05.2025 को स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का उपशमन तथा अपील को अवधिशुमार घोषित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री मानसिंह पुत्र दौला की मृत्यु होने पर उनके द्वारा धारित अपीलाधीन खातेदारी भूमियों के सम्बन्ध में पटवारी माण्डीगढ द्वारा दिनांक 22.05.1992 को फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज कर स्व. मानसिंह के स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती रुकमा, पुत्रगण श्री लक्ष्मणसिंह प्रतापसिंह एवं फतेहसिंह तथा उनके जीवनकाल में ही फौत उनके पुत्र पुत्र स्व. भंवरसिंह की पत्नी अर्थात् अप्रार्थी संख्या चार श्रीमती पवन का नाम इन्द्राज किया गया। पटवारी द्वारा दर्ज उक्त नामान्तरकरण को राजस्व अभियान कैम्प माण्डीगढ में दिनांक 08.06.1992 को सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर सही होना पाया तथा तहसीलदार देसूरी द्वारा उसी दिन उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आज्ञा दिनांक 08.06.1992 को इस आधार पर चुनौति दी है कि स्व. मानसिंह पुत्र दौलाजी की जायन्दा पुत्रियाँ होने के उपरान्त भी अपीलाधीन नामान्तरकरण में उनके नामों का इन्द्राज नहीं किया गया।

रेस्पोजेण्ट संख्या दो एवं तीन द्वारा अपीलार्थिया के इस कथन को सत्य होना स्वीकार किया है कि वे स्व मानसिंह पुत्र दौलाजी की जायन्दा पुत्रियाँ हैं। रेस्पोजेण्ट संख्या चार व पाँच

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-बांसी

राजस्व अपील संख्या : 44 / 2022

उनवान : हंजा बाई व अन्य बनाम कैलाश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

ने भी अपने जवाबपत्र के साथ ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो अपीलार्थीगण के इस सशपथ कथन का खण्डन कर सके कि वे स्व. मानसिंह की जायन्दा पुत्रियाँ हैं अर्थात् यह स्वीकार्य स्थिति है कि स्व. मानसिंह पुत्र दौलाजी की जायन्दा पुत्रियाँ होने के उपरान्त भी ज़रिए अपीलाधीन नामान्तरकरण स्व. श्री मानसिंह की पुत्रियों का उनके द्वारा धारित कृषि भूमियों में इन्द्राज नहीं किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के उपबन्धान्तर्गत किसी हिन्दु की निर्वसियत मृत्यु होने पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति प्रथम श्रेणी के वारिसानों को हस्तान्तरित होगी एवं पुत्रियों को प्रथम श्रेणी के वारिसों में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण स्वीकृति आज्ञा दिनांक 08.06.1992 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से विधि की दृष्टि में असंधारणीय अर्थात् अवैध होना सिद्ध पाया जाता है।

अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाती है तथा मौजा राजपुरा पटवार मण्डल माण्डीगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 55 के सम्बन्ध में तहसीलदार देसूरी द्वारा जारी स्वीकृति आज्ञा दिनांक 08.06.1992 को अपास्त किया जाता है।

साथ ही प्रकरण तहसीलदार देसूरी को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलाधीन कृषि भूमि के सम्बन्ध में समस्त पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए तथा उत्तरोत्तर हस्तान्तरण सम्बन्धि तथ्यों को समेकित करते हुए स्व. मानसिंह पुत्र दौलाजी की पुत्रियों एवं अन्य वैध वारिसों के नाम नये सर नामान्तरकरण कार्यवाही अमल में लाए।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।



(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली